

न्यायालय:- द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, गौहद जिला भिण्ड (म0प्र0)  
(समक्ष: श्री पी.सी. आर्य )

दाण्डिक पुनरीक्षण क्रमांक: 141/11  
संस्थापन दिनांक-01/07/2011

बालकृष्ण शर्मा पुत्र रामनारायण शर्मा,  
आयु 62 साल निवासी पुजारी मंदिर  
श्री रामजानकी मोहल्ला नूरगंज वार्ड नं.-5,  
मौ रोड गोहद जिला भिण्ड

-----पुनरीक्षणकर्ता/आवेदक

वि रु द्ध

- 1- पप्पू उर्फ राजेन्द्र आयु 40 साल
- 2- बृजेश आयु 38 साल
- 3- विष्णू आयु 35 साल
- 4- कालीचरण आयु 33 साल
- 5- संजय उर्फ गटोली आयु 32 साल  
पुत्रगण मंगलप्रसाद,  
निवासीगण वार्ड नंबर-9 गोहद
- 6- मेहबूब खां पुत्र उस्मान अली 56 साल,  
निवासी नूरगंज मौ रोड, गोहद

-----प्रतिपुनरीक्षणकतागण/अनावेदकगण

-----  
न्यायालय-कार्यपाल मजिस्ट्रेट, गोहद जिला-भिण्ड के प्रकरण  
क्रमांक-02/10 मु0फौ0 धारा-145 जा.फौ. पारित आदेश दिनांक  
31/05/2011 से उत्पन्न दाण्डिक पुनरीक्षण  
-----

-:- आ दे श -:-

(आज दिनांक 27, जनवरी 2015 को पारित किया गया)

1. पुनरीक्षणकर्ता द्वारा उक्त दाण्डिक पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा-399 द.प्र.सं. के तहत न्यायालय एस.डी.एम. गोहद द्वारा प्रकरण क्रमांक-02/2010 मु0फौ0 में पारित आलोच्य आदेश दिनांक-20/01/2015 से व्यथित होकर प्रस्तुत की है, जिसके द्वारा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने पुनरीक्षणकर्ता का आवेदनपत्र धारा-145 द.प्र.सं. आवेदनपत्र निरस्त किया गया है।
2. प्रकरण में यह निर्विवादित तथ्य है कि पुजारी नियुक्ति का आदेश

निरस्त होकर उसके संबंध में राजस्व मण्डल में निगरानी विचाराधीन है और स्वीकृत है कि पुनरीक्षणकर्ता पर पृथक से धारा-420 भा0द0वि0 के तहत प्राइवेट परिवाद पर से अपराध का संज्ञान लिया जाकर जे0एम0एफ0सी0 न्यायालय में कार्यवाही विचाराधीन है तथा रामजानकी मंदिर मौ रो, गोहद के संबंध में सिविल वाद भी संचालित है ।

3. पुनरीक्षणकर्ता की याचिका का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक-31/05/2011 विधि विधान के विपरीत होने से निरस्ती योग्य है । मंदिर श्री रामजानकी स्थित मौ रोड गोहद का आवेदक 16/7/2003 को पुजारी नियुक्त किया गया था, पुजारी की नियुक्ति की कार्यवाही में अनावेदक के पिता मंगलप्रसाद ने आपत्ति की, जो निरस्त हो चुकी है । अनावेदकगण ने छल कपट बेईमानी से झूठे दस्तावेज तैयार कर निष्पादित किए हैं, जो आवेदक के पुजारी नियुक्ति के पूर्व के हैं लेकिन इस तथ्य को विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने ध्यान नहीं देकर आलोच्य आदेश पारित कर गंभीर त्रुटि की है ।
4. अनावेदक क्र.-3 विष्णु द्वारा अपने रिश्तेदार सत्यनारायण के द्वारा दीवानी दावा 8/2007 ए0ई0दी0 न्यायालय अपर जिला जज गोहद के यहां संचालित है एवं एक प्राइवेट परिवाद धारा-420 भा0द0वि0 का पेश किया गया, जो प्र0क्र0-63/2003 ई0फौ0 सत्यनारायण बनाम सुरेश कुमारी पर संचालित होकर विचाराधीन है । आवेदक द्वारा पुजारी की हैसियत से मंदिर की पूजा की जा रही थी जबकि अनावेदक क्र.-3 विष्णु द्वारा अभियोगपत्र व आर्डर शीट की नकल लेकर एस0डी0ओ0 गोहद के न्यायालय में आवेदन दिया कि आवेदक फरार है, जिससे मंदिर की पूजा नहीं हो पा रही है, अपने लोगों से मिलकर फर्जी पंचनामा बनाकर एस0डी0ओ0 के यहां आवेदन पेश किया, जो निरस्त किया, जिसकी अपील कलेक्टर भिण्ड में की, जिनके द्वारा भी विधि विधान आदेश शिकायतकर्ता को पुजारी नियुक्त करते हुए पारित किया गया, जो भी निरस्ती योग्य है । जिसकी द्वितीय निगरानी रेवेन्यू बोर्ड ग्वालियर के यहां विचाराधीन है । अतः आवेदक/पुनरीक्षणकर्ता का आवेदन स्वीकार कर आदेश पारित कर आलोच्य आदेश निरस्त किये जाने का निवेदन किया ।
5. प्रतिपुनरीक्षणकर्ता की ओर से उक्त आवेदनपत्र का कोई लिखित जवाब पेश नहीं किया गया है ।
6. प्रकरण के निराकरण हेतु बिन्दु विचारणीय यह है कि-“क्या, विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांकित 31/05/2011 अवैध, अनुचित या औचित्यहीन होकर अपास्त किए जाने योग्य है ?”

-::— निष्कर्ष के आधार —::—

7. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य आदेश का अवलोकन किया गया । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के मूल अभिलेख का अध्ययन किया गया । उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों पर मनन किया गया ।
8. पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि विद्वान एस. डी.एम. न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश विधि विरुद्ध है, क्योंकि विवाद के दो माह के पूर्व की स्थिति देखी जानी होती है कि किस पक्षकार का कब्जा है और पुनरीक्षणकर्ता को पुजारी के पद से हटाये जाने का आदेश ही गलत हुआ है, जिसका विवाद विचाराधीन है । इसलिये कब्जे के संबंध में निराकरण किया जाना चाहिये था, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण प्रचलन योग्य ही न मानते हुए निरस्त कर दिया, कोई साक्ष्य नहीं ली, न जांच की, इसलिये आदेश अवैध होकर अनुचित है, जिसे अपास्त किया जावे । जबकि प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क रहा है कि जिस तरह का विवाद पुनरीक्षणकर्ता द्वारा बताया गया है, वह धारा-145 द०प्र०सं० की परिधि के अंतर्गत ही नहीं आता है । इसलिये एस०डी०एम० न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश विधि के अनुरूप होकर पुष्टि योग्य है और पुनरीक्षण याचिका सारहीन होने से निरस्त की जावे ।
9. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के मूल अभिलेख का अवलोकन किया गया । पुनरीक्षण याचिका में उठाये बिन्दुओं और किए गये तर्कों पर चिन्तन व मनन किया गया । आलोच्य आदेश का अध्ययन किया गया । विद्वान एस०डी०एम० गोहद द्वारा दिनांक-31/5/2011 को पारित अंतरिम आदेश मुताबिक यह माना है कि पुनरीक्षणकर्ता पुजारी की हैसियत से नियुक्त नहीं है और उसके संबंध में पुजारी के पद से पृथक किए जाने का आदेश हुआ था, जिसे कलेक्टर भिण्ड द्वारा भी यथावत् रखा गया तथा अपर आयुक्त चंबल संभाग द्वारा भी स्थिर रखा गया है और पक्षकारों के मध्य सिविल वाद में भी पुनरीक्षणकर्ता का अस्थाई निषेधाज्ञा आवेदनपत्र अस्वीकार किया गया । इस आधार पर प्रथम दृष्टया ही प्रकरण प्रचलन योग्य है, पाते हुए उभयपक्षकारों के तर्कों को श्रवण कर यह पाया कि मौके पर कब्जे का विवाद आवेदनपत्र के 60 दिवस के भीतर का नहीं है, इसलिये धारा-145 द.प्र.सं. के तहत मामला चलने योग्य नहीं है ।
10. पुनरीक्षणकर्ता द्वारा एस०डी०एम० गोहद को धारा-145 एवं 107/116 (3) द०प्र०सं० 1973 के तहत जो आवेदनपत्र किया गा था, उसमें मूलतः पुजारी नियुक्ति का विवाद बताया गया कि वह रामजानकारी मंदिर मौ रोड गोहद का दिनांक-16/7/2003 को पुजारी नियुक्त किया गया था और प्रत्यर्थीगण के पिता मंगलप्रसाद द्वारा जो पुजारी नियुक्ति के संबंध में आपत्ति की गयी थी, वह निरस्त हुई थी और बाद में सांठ-गांठ करके पुजारी नियुक्ति का आदेश करा लिया तथा झूठे व मनगणंत आधारों पर उसके विरुद्ध धारा-420 भा०द०वि० के तहत प्राइवेट परिवाद भी संचालित कर दिया और सिविल वाद भी संचालित कर दिया, जिनके मामले विचाराधीन है ।

11. पुनरीक्षण याचिका में यह भी बताया गया है कि जो सिविल वाद पेश किया गया उसमें अस्थाई निषेधाज्ञा के निरस्त आवेदनपत्र की अपील अपर जिला न्यायालय गोहद में संचालित है तथा प्राइवेट परिवाद भी संचालित है और पुजारी नियुक्ति के आदेश के संबंध में राजस्व मण्डल ग्वालियर में द्वितीय निगरानी संचालित है, कोई भी आदेश अंतिम नहीं है तथा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने धारा-145 द0प्र0सं0 के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा प्रतिपादित मूलभूत सिद्धांत की पूर्ववर्ती 60 दिवस की स्थिति को कब्जे के संबंध में देखा जाना चाहिये, उसे अनदेखा किया है, इसलिये आदेश अवैध है।
12. प्रकरण में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली के साथ संलग्न दस्तावेज के अध्ययन से यह स्पष्ट है कि पुजारी नियुक्ति के संबंध में राजस्व मण्डल में मामला विचाराधीन है। सिविल वाद से संबंधित भी मामला विचाराधीन है और धारा-420 भा0द0वि0 का प्राइवेट परिवाद पृथक से संचालित है। संबंधित मामलों में उससे संबंधित उत्पन्न बिन्दुओं का निराकरण होगा। अभिवचनों में मूलतः पुजारी नियुक्ति का बिन्दु उठाया गया है, जबकि धारा-145 द0प्र0सं0 1973 के उपबंध के मुताबिक जहां भूमि या जल के संबंध में कोई विवाद हो, जिससे मौके पर परिशांति भंग होने की संभावना हो, वहां उक्त प्रावधान के तहत प्रक्रिया संचालित कर कार्यवाही की जा सकती है।
13. धारा-145 की उपधारा-02 में भूमि और जल को स्पष्ट किया गया है, जिसके अंतर्गत भवन, बाजार, मीन क्षेत्र, फसलें, भूमि पर अन्य उपज और ऐसी किसी संपत्ति के घाटक या लाभ शामिल हैं। इस मामले में पुनरीक्षणकर्ता और प्रत्यर्थीगण के मध्य रामजानकी मंदिर मौ रोड, गोहद के पुजारी को लेकर प्रतिद्वंदता है। पुजारी नियुक्ति का बिन्दु धारा-145 द0प्र0सं0 की परिधि में नहीं आता है और उक्त प्रावधान की उपधारा-4 के परंतुक मुताबिक जहां पुलिस अधिकारियों की रिपोर्ट या अन्य प्रकार की सूचना पर कार्यपालिक मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि विवाद के पूर्ववर्ती के दो माह के भीतर किसी संपत्ति के बलात् और सदोष रूप से किसी व्यक्ति को बेकब्जा किया गया है तो वे ऐसा मानकर उपधारा-01 के अधीन कि वह पक्षकार कब्जा आवेदनपत्र की तारीख को रखता था, कार्यवाही कर सकता है। किन्तु इस मामले में इस तरह का कोई विवाद नहीं है, इसलिये जो आधार पुनरीक्षण याचिका में उठाये हैं, वे धारा-145 द0प्र0सं0 1973 के उपबंध को आकर्षित ही नहीं करते हैं। इसलिये प्रारंभिक स्तर पर आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदनपत्र प्रचलन योग्य न मानने में कोई विधि त्रुटि नहीं की गयी है।
14. जहां तक यह प्रार्थना की गयी है कि वे इस आशय के जमानत मुचलके लिये जायें कि वे पुनरीक्षणकर्ता को मंदिरकी सेवा-पूजा में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न करें और मंदिर की भूमि को खुर्द-बुर्द न करें, झगड़ा फसाद न करें। यह इसलिये स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि वर्तमान में आवेदक के मंदिर के पुजारी होने की स्थिति स्थापित और स्वीकृत नहीं है

तथा मंदिर की भूमि को खुरद-बुर्द प्रत्यर्थीगण द्वारा किया जा रहा हो ऐसा कोई प्रमाण भी अभिलेख पर नहीं है । ऐसी स्थिति में प्रस्तुत की गयी पुनरीक्षण याचिका सारहीन है और कोई बल नहीं रखती है । इसलिये विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश विधि के अनुरूप है तथा जहां तक यह प्रश्न है कि प्रकरण निरस्त करने के पूर्व साक्ष्य का अवसर नहीं दिया गया और कोई जांच नहीं हुई, यह भी स्वीकार योग्य नहीं है, क्योंकि जब मामला प्रारंभिक स्तर पर ही प्रचलन योग्य न हो, वहां अग्रिम जांच की आवश्यकता नहीं होती है ।

15. ऐसे में विद्वान एस.डी.एम. गोहद का आलोच्य आदेश दिनांक-31/05/2011 विधि सम्बत् होकर पुष्टि योग्य है और प्रस्तुत दाण्डिक पुनरीक्षण में कोई बल नहीं होने से पुनरीक्षण याचिका **निरस्त** की जाती है ।

16. आदेश की प्रति एस.डी.एम. गोहद की ओर सूचनार्थ व पालनार्थ भेजी जावे ।

दिनांक 27-01-2015

आदेश हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर  
खुले न्यायालय में पारित किया गया ।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया ।

(पी.सी. आर्य)  
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,  
गोहद जिला भिण्ड

(पी.सी. आर्य)  
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,  
गोहद जिला भिण्ड